राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

पुरुषुरुलगो पाप
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-24/2000/एमएड/ दिनांक : 22.09.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

कुं0 आर.सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी- 205001, उत्तर प्रदेश ने संस्था में कार्यरत एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 19.5.2000 को आवेदन किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 24.5.2000 को प्राप्त हुआ।

संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 25 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित कमियाँ हैं।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को बीएड और एमएड के लिए कुल 11 रीडर/व्याख्याताओं की आवश्यकता है। जबकि संस्था के पास 7 व्याख्याता हैं। केवल बीएड, केवल एमएड तथा बीएड व एमएड को पढ़ाने वाले रीडर/प्राध्यापकों की सूची मय योग्यता, उनके स्नातकोत्तर उपाधि के विषय एवं प्राप्तांक, नेट या समकक्ष उपाधि, पीएचडी/एमफिल की डिग्री प्राप्त करने का वर्ष, उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों आदि का विवरण नहीं भेजा है। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि एमएड के लिए परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार एमएड की न्यूनतम 25 सीटों तक निर्धारित योग्यता एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला में विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयनित नियमित एवं पूर्णकालिक 1 प्रोफेसर, 2 रीडर व 2 प्राध्यापक संस्था में हैं या नहीं। चूंकि बीएड व एमएड की सूची मय समस्त सूचनाओं के अलग से प्रेषित नहीं की है। अतः एमएड हेतु उक्त टीचिंग स्टॉफ की कमी है। अतः परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार दो रीडर और दो व्याख्याताओं की कमी है।
2	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.1 के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम हेतु अलग से दो फैकल्टी कक्ष नहीं है।
3	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.5.1 के अनुसार पुस्तकालय में एमएड स्तर की पुस्तकों व जरनल्स की कमी है।

अतः संस्था को उपरोक्त कमियों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए परिषद् अधिनियम की धारा 14 (3)(बी) के तहत नोटिस प्रेषित कर दिया जाए तथा सत्र 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता मिलने तक प्रवेश नहीं करने के लिए भी लिख दिया जाए। समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-24/एमएड/2000/1580-1593 दिनांक 16.5.2000 प्रेषित किया गया था जिसमें उपरोक्त कमियों को सूचित किया गया था तथा सत्र 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता मिलने तक एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न करने के लिए भी लिखा था। संस्था से समिति कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.5.2000 का उत्तर संस्था ने पत्र दिनांक 2.6.2000 के द्वारा दिया। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर, आवेदन-पत्र संलग्न दस्तावेजों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 27 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि विश्वविद्यालय में परिषद् मानदंडों के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक नहीं हैं। अतः संस्था को अध्यापक नियुक्त करने के लिए पत्र लिख दिया जाए तथा जब तक सीटें अनुमोदित न की जाए। समिति के निर्णयानुसार संस्था को क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-24/एमएड/2000/5429-33 दिनांक 1.8.2000 प्रेषित किया गया था। संस्था से उक्त पत्र के संदर्भ में प्राप्त पत्र दिनांक 17.8.2000 को प्राप्त हुआ। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर, आवेदन-पत्र संलग्न दस्तावेजों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 18 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हुई 29 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था । समिति ने प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि परिषद् मानदंडों के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम के लिए विभागाध्यक्ष सहित कुल न्यूनतम 5 अध्यापकों की आवश्यकता होती है जबकि संस्था के पास 2 अध्यापक हैं । अतः 3 अध्यापकों की कमी के कारण संस्था के एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता को अस्वीकार कर दिया जाए ।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कु0 आर.सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी- 205001, उत्तर प्रदेश के एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न करे। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके एमएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17(4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त एमएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं माना जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकती है । अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं । इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है ।

आज्ञा से

(डॉ0 ए.के. कौशल)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
प्रकाशन विभाग (सजपत्र अनुभाग)
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
4. कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
6. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, कु0 आर.सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी- 205001, उत्तर प्रदेश
7. कम्प्यूटर फाइल, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

क्षेत्रीय निदेशक